

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रे०मिश केस सं०- 17/2021-22

जीतराम बेसरा बनाम् करान बेसरा वगै०

-: आदेश :-

13.10.2022

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक जीतराम बेसरा, पे०-स्व० डोमन बेसरा, साकिन-चांदसर, थाना-बोआरीजोर, अंचल-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा के द्वारा विपक्षी 1. करान बेसरा, पे०-धनाय बेसरा, 2. शिबुल बेसरा, पे०-करान बेसरा, 3. संजय बेसरा, पे०-स्व० दखीन बेसरा, 4. सुरेन्द्र बेसरा, पे०-संजय बेसरा, सभी साकिन-चांदसर, थाना व अंचल-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा को मौजा-चांदसर, नं०-23, जमाबंदी नं०-05, दाग नं०-173, रकवा 02-12-13 धूर के भूमि पर सड़क निर्माण के मुआवजे की राशि निर्गत नहीं करने को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ किया गया। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई तथा उभय पक्ष को कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकनोपरान्त पाया कि प्रासंगिक भूमि विवाद खतियानी पर्चा के दखल कियारी में अंकित नाम सुधार से संबंधित है, जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय से संभव है।

अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(83)
13.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

(83)
13.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen.
Pande Kumar Singh
Adv.
05/10/20

Seen
S.C. Choudhary
Adv.
16.10.2023